P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-5* ISSUE-3* November- 2017
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

वस्तु एवं सेवा कर : विधि एवं नियम

सारांश

जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। वस्तु एवं सेवा कर का वास्तविक भुगतान अंतिम उपभोक्ता द्वारा किया जाता है तथा पूर्व के विक्रेताओं को उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलाती है। यह मानव रहित पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक आधारित कर प्रणाली है जिससे भ्रष्टाचार में कमी होगी तथा आम व्यक्ति को लाभ होगा। इससे भारतीय व्यापार विदेशी प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने में सफल होंगे।

मुख्य शब्द : एकीकृत साझा बाजार, अप्रत्यक्ष कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, मनोरंजन कर, विलासिता कर, लॉटरी टैक्स, जीएसटी काउंसिल, संघीय संवैधानिक निकाय, इलेक्ट्रिक प्रणाली।

एच.एन. गुप्ता
व्याख्याता
ए.बी.एस.टी. विभाग,
एस.पी.एन.के.एस.राज.पी.जी. महाविद्यालय,
दौसा, राजस्थान

प्रस्तावना

जीएसटी पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बना देगा। जीएसटी विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक एकल कर है। प्रत्येवक चरण पर भुगतान किये गये इनपुट करों का लाभ मूल्य संवर्धन के बाद के चरण में उपलब्ध होगा जो प्रत्येक चरण में मूल्यग संवर्धन पर जीएसटी को आवश्यक रूप से एक कर बना देता है। अंतिम उपभोक्ताओं को इस प्रकार आपूर्ति श्रृंखला में अंतिम डीलर द्वारा लगाया गया जीएसटी ही वहन करना होगा। इससे पिछले चरणों के सभी मुनाफे समाप्त हो जायेंगे। जीएसटी भारत के कर ढांचें में सुधार का एक बहुत बड़ा कदम है। वस्तु एवं सेवा कर एक एकीकृत अप्रत्यक्ष कर कानून है (Indirect Tax) है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा।

जीएसटी लागू होने से पूरा देश एकीकृत बाजार में बदल गया हैं और ज्यादातर अप्रत्यक्ष कर जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क (Excise), सेवा कर (Service Tax), वैट (Vat), मनोरंजन कर, विलासिता कर, लॉटरी टैक्स आदि जीएसटी में समाहित हो गए। इससे पूरे भारत में एक ही प्रकार का अप्रत्यक्ष कर लगेगा। देश में जीएसटी को 13 वर्ष लंबी यात्रा के बाद पेश किया जा रहा है, क्योंकि अप्रत्यक्ष करों पर गठित केलकर कार्यबल की रिपोर्ट में सर्वप्रथम इसके बारे में विचार–विमर्श किया गया था। 2003 में प्रत्यअक्ष कर पर केलकर कार्यबल ने वैट सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) का सुझाव दिया था। सबसे पहले वित्त वर्ष 2006–07 के बजट भाषण में 01 अप्रैल 2010 से राष्ट्रीय स्तर पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू करने का प्रस्ताव किया गया था। भारत सरकार और राज्यों से प्राप्त सुझावों के आधार पर अधिकार प्राप्त समिति ने नवम्बर, 2009 में वस्तु एवं सेवा कर पर अपना पहला विचार–विमर्श पत्र (एफडीपी) जारी किया। जीएसटी से संबंधित कार्य को आगे बढ़ाने के क्रम में केन्द्रल के साथ–साथ राज्य सरकार के अधिकारियों को शामिल करके एक संयुक्तस कार्य समूह का सितम्बर, 2009 में गठन किया गया था। जीएसटी का सबसे पहला ड्राफ्ट कोलकाता में जून 2016 हुई Empowered Committee of Finance Minister की मीटिंग में प्रस्तुत किया गया। जीएसटी संशोधन विधेयक (122वां संविधान संशोधन विधेयक) पारित होने के बाद Empowered Committee of Finance Minister को जीएसटी काउंसिल में बदल दिया गया।

जी एस टी एक्ट के प्रमुख प्रावधान

माल एवं सेवा कर अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्नानुसार हैं–

यदि माल एक राज्य में उत्पादित होकर उसी राज्य में उपभोक्ता तक जाता है तो प्रत्येक स्तर पर CGST, SGST लगेगा तथा पिछले स्तर पर चुकाए गए कर की Input Tax Credit मिलेगी।

यदि माल एक राज्य में उत्पादित होकर दूसरे राज्य राज्य में जा रहा है तो IGST (Integrated GoodsAnd Service Tax) देना होगा जो CGST व SGST के योग के बराबर होगा। दूसरे राज्य में मॉल बेचने पर IGST का

Input Tax Credit मिल जायेगा। यदि कोई IGST का Input Tax Credit नहीं लेता है तो वह राज्य व केंन्द्र में बराबर बांट दिया जायेगा।

यदि विदेशी राज्य से माल आता है तो IGST चुकाना होगा। उस माल को आगे बिक्री करने पर Input Tax Credit मिल जाएगी। Make In India को बढ़ावा देने के लिए कस्टम ड्यूटी को जीएसटी में नहीं मिलाया गया है।

केंद्र शासित प्रदेशों में UTGST व CGST लगेगा।

20 लाख रुपये टर्नओवर तक GST Return भरने से छूट है। 11 विशेष राज्यों में यह छूट 10 लाख रुपये तक है।

20 लाख से अधिक लेकिन 75 लाख तक (कुछ राज्यों में 50 लाख तक) के टर्नओवर के लिए एकीकृत योजना (Composition Scheme) लागू की गई है। व्यापारी को केवल त्रैमासिक रिटर्न भरनी होगी हर Invoice का विवरण देने की आवश्यकता नहीं है केवल कुल टर्नओवर के आधार पर रिटर्न भर सकते है।

एकीकृत योजना में कर की दर निम्नानुसार होगी–

व्यापारी	1 %
छोटे निर्माता	2%
रेस्टोरेंट	5%

GSTN (Goods and Service Network) की स्थापना की गई है जिन्होंने ऐसा Software Solution Tool तैयार किया है जिससे रिटर्न अपने आप तैयार हो जाएगी।

GSTN ने एक ऐसा ऑफ लाइन सॉफ्टवेयर भी तैयार किया है जिससे (यदि एकाउंटिंग Excel Sheet में हो) रिटर्न अपने आप तैयार हो जाएगी। केवल 1 महिने में एक बार Net Connectivity की आवश्यकता होगी।

कर का भुगतान Cheque, RTGS, NEFT या Net Banking से किया जा सकता है। केवल 10000 तक का नगद कर भुगतान बैंक में किया जा सकता है।

B TO C Transation में 5 करोड़ तक की बिक्री तक Invoice Detail देने की आवश्यकता नहीं है। केवल कुल टर्नऑवर दिखाना होगा।

यदि कोई कर का रिफंड है तो 60 दिन में ऑनलाइन प्राप्त होगा। निर्यात के मामलों में रिफंड 7 दिन में कर दिया जायेगा अन्यथा न्यूनतम दर से ब्याज का भुगतान किया जायेगा।

B TO C Transation में 5 करोड़ तक की बिक्री तक Invoice Detail देने की आवश्यकता नहीं है केवल कुल टर्नओवर दिखाना होगा।

यदि कोई कर का रिफंड है तो 60 दिन में ऑनलाइन प्राप्त होगा। निर्यात के मामलों में रिफंड 7 दिन में कर दिया जायेगा अन्यथा न्यूनतम दर से ब्याज का भुगतान किया जायेगा।

जीएसटी की सम्पूर्ण प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक मोड़ पर होगी। इसके लिए GST Online Portal पर जाकर या जीएसटी सुविधा केंद्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है तथा 15 डिजिट का GSTIN (GST Identification Number) प्राप्त कर सकते है

20 लाख से अधिक टर्नओवर पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी लेकिन यदि आप Input Tax Credit लेना चाहते है तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा।

इसके लिए GST Online Portal पर रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद केंद्र या राज्य सरकार द्वारा (जिसे भी आवंटित हो) 3 दिन के अंदर प्रोसेस किया जायेगा। यदि उस आवेदन में कमी है तो आवेदक को उसके Mail Id पर सूचित किया जायेगा। यदि आवेदन में कोई कमी नहीं हैं तो जीएसटी सर्वर द्वारा अपने आप रजिस्ट्रेशन कर GSTIN आवंटित कर दिया जायेगा।

अधिनियम में GST Practitioner का प्रावधान भी रखा गया है। साथ ही हेल्पलाइन नंबर व फिजिकल सेंटरों का भी प्रावधान है।

यदि 50000 रुपये से अधिक का माल ट्रांसपोर्ट करना चाहते हैं तो GST Portal पर सूचना देनी होगी। पोर्टल से UNI ID NO प्राप्त होगा इसे वाहन चालक को देना होगा। जाँच के समय यह नंबर दिखाना होगा। अधिकारी UNI ID NO द्वारा उस उत्पाद की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है।

कर की दर का निर्धारण इस कोड के द्वारा किया जाता है जो अधिनियम के Chapter– 9 में दिए हुए है। HSN Code का उपयोग निम्नानुसार किया जायेगा –

1.5 करोड़ से कम बिक्री पर	आवश्यकता नहीं
1.5 से 5 करोड़ तक की बिक्री पर	2 डिजिट कोड
5 करोड़ से अधिक की बिक्री पर	8 डिजिट कोड
आयात व निर्यात पर	8 डिजिट कोड

यदि किसी राज्य को जीएसटी के कारण आय में कमी को रही है तो केंद्र सरकार द्वारा उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी।इसके लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 की आय को आधार मानकर हर वर्ष के लिए 14% वार्षिक वृद्धि देते हुए आय का निर्धारण किया जायेगा।

जीएसटी दायरे से बाहर वस्तुएं

1. एल्कोहल
2. पेट्रोलियम उत्पाद– पेट्रोल, डीजल, क्रूड ऑयल, एविएशन ऑयल, गैस
3. तम्बाकू – जीएसटी लागू है लेकिन इस पर केंद्र सरकार को अतिरिक्त Excise Duty लगाने का अधिकार है।
4. मनोरंजन कर – जीएसटी में शामिल किया गया है लेकिन स्थानीय निकाय को पैसा देने के लिये अतिरिक्त मनोरंजन कर लगाने का अधिकार है।
5. इसके अलावा स्थानीय निकाय पानी, बिजली पर यूजर चार्जेज बढ़ा सकती है।
6. मूल्यवान धातुओं की कर दर का निर्धारण अलग से किया जायेगा। वर्तमान में यह दर 3% है।

जीएसटी काउंसिल

जीएसटी काउंसिल एक संघीय संवैधानिक निकाय है जिसे जीएसटी के सम्बन्ध में निर्णय करने का अंतिम अधिकार है जिसका गठन जीएसटी एक्ट के अंतर्गत किया गया है।

अध्यक्ष

केन्द्रीय वित्त मंत्री

उपाध्यक्ष

केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री

सदस्य

29 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेश के वित्त मंत्री न्यूनतम कोरम –50 %

मताधिकार

कुल मतों का 1/3 अधिकार केंद्र के पास

कुल मतों का 2/3 अधिकार राज्यों के पास, (प्रत्येक राज्य को बराबर)

अध्ययन का उद्देश्य

मॉल और सेवा कर (जीएसटी) भारत भर में एक अप्रत्यक्ष कर लागू है जो केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा लगाए गए कई कैस्केड करों को बदलता है। इसे संविधान (एक सौ और पहले संशोधन) अधिनियम 2017 के रूप में पेश किया गया था, संविधान 122 वें संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद जीएसटी जीएसटी परिषद द्वारा संचालित है और इसके अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री हैं। जीएसटी के तहत, वस्तुओं और सेवाओं को निम्न दरों पर लगाया जाता है, 0%, 5%, 12% और 18% मोटे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0-25% की एक विशेष दर और सोने पर 3% की दर है। इस अध्धयन का उद्देश्य मॉल एवं सेवा कर के बारे में प्रारंभिक जानकारी देना व साथ ही मॉल और सेवा कर (जीएसटी) के फायदे बताना है। साथ ही इस अध्ययन का उद्देश्य आम जनता, शिक्षाविद एवं राजनेताओं की राय जानकर यह निष्कर्ष निकलना है कि माल और सेवा कर आम जनता व देश के लिए लाभ दायक है या नहीं।

साहित्यावलोकन

सी. ए. रजत मोहन द्वारा लिखित पुस्तक "Illustrated Guide to Goods & Service Tax" पर लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमे मॉल एवं सेवा कर से सम्बन्धित प्रावधानों की विस्तार से व्याख्या गई है।इस पुस्तक में CGST SGST व IGST का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में empowered committee की रिपोर्ट तथा सविंधान संशोधन विधेयक का विस्तार से वर्णन किया गया है।

पथिक शाह द्वारा लिखित पुस्तक 'Hand book on Good and Service Tax' में मॉल एवं सेवा कर से सम्बंधित सभी पहलुओं पर चर्चा की गई है। इस पुस्तक में जी एस टी की गणना से सम्बंधित महत्वपूर्ण सारणियाँ, समस्याओं के समाधान के लिए FAQ, एच एस एन कोड, जी एस टी से सम्बंधित समय समय पर जारी किये गए निर्देश आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है ।

सी ए विशाल सरावगी द्वारा लिखित पुस्तक "Goods And Service Tax–Law Practice And Procedure" में केन्द्रीय मॉल एवं सेवा कर, राज्य मॉल एवं सेवा कर तथा अंतर राज्य मॉल एवं सेवा कर का विस्तार से वर्णन किया गया है। इस पुस्तक में विधेयक से सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानों तथा उस में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान की व्यवस्था की गई है ।

परिकल्पना

यह अध्ययन इस निम्न परिकल्पनाओं पर आधारित है–

1. मॉल और सेवा कर आम जनता के लिए लाभदायक नहीं है। इससे आम जनता को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
2. मॉल और सेवा कर से देश की आर्थिक स्थिति के लिए लाभदायक नहीं है।

शोध रूपरेखा

यह अध्धयन आम जनता, शिक्षाविद एवं राजनेताओं से एकत्रित किये गए प्राथमिक समंकों पर आधारित है जो जयपुर जिले (राजस्थान) के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से एकत्रित किये गए जो प्रतिदर्श आकार 300 पर आधारित हैं।प्राप्त समंकों को वर्गीकरण एवं सारणियन के माध्यम से व्यवस्थित कर निष्कर्ष निकला गया तथा प्राप्त निष्कर्षों का काई–वर्ग विधी के माध्यम से परीक्षण किया गया।

आंकड़ों का विश्लेषण एवं काई–वर्ग परीक्षण

प्राथमिक समंकों के माध्यम से एकत्रित किये गए आंकड़ों को 4 भागों में बांटा गया जो निम्न सारणी में प्रस्तुत है –

वास्तविक समंक (O)

विवरण	देश के लिए लाभदायक नहीं	देश के लिए लाभदायक	योग
आम जनता के लिए लाभदायक नहीं	30	88	118
आम जनता के लिए लाभदायक	42	140	182
योग	72	228	300

प्रत्याशित समंक (E)

विवरण	देश के लिए लाभदायक नहीं	देश के लिए लाभदायक	योग
आम जनता के लिए लाभदायक नहीं	28.32	89.68	118
आम जनता के लिए लाभदायक	43.68	138.32	182
योग	72	228	300

काई–वर्ग परीक्षण

वास्तविक समंक (O)

प्रत्याशित समंक (E)

		$(O-E)^2$	$\chi^2 = \sum((O-E)^2/E)$
30	28.32	2.8224	.0997
42	43.68	2.8224	.0997
88	89.68	2.8224	.0997
140	138.32	2.8224	.0997

$\chi^2 = .3988$

काई–वर्ग का सारणी मूल्य

स्वातंत्र्य संख्या =(ब–1) (त–1)

= (2–1) (2–1) =1

स्वातंत्र्य संख्या 1 के लिए 5% सार्थकता स्तर पर χ^2 का सारिणी मूल्य = 3.841

परिकल्पना परीक्षण

5 % सार्थकता स्तर पर χ^2 का परिकलित मान .3988 है जो सारिणी मूल्य 3.841 से कम है।अतः शून्य परिकल्पना गलत है। मॉल और सेवा कर आम जनता के लिए लाभदायक है। मॉल और सेवा कर से देश की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। मॉल और सेवा कर देश के विकास में सकारात्मक भूमिका निभाएगा।

निष्कर्ष

मॉल एवं सेवा कर द्वारा एकीकृत कर प्रणाली लागू हो जाएगी। इससे भ्रष्टाचार में कमी होगी क्योंकि यह मानव रहित पूर्णतः इलेक्ट्रिक प्रणाली पर आधारित है।यदि इस प्रणाली को ईमानदारी से लागू किया जाये तथा देश का हर नागरिक सहयोग करें तो देश का आर्थिक विकाश स्वतः ही होगा। इसका लाभ देश के हर नागरिक को होगा चाहे वह अमीर हो या गरीब।एक मजबूत और व्याप्पक सूचना प्रौद्योगिकी प्रणाली पर आधारित होने के कारण माल एवं सेवा कर में पंजीकरण,रिटर्न भरना तथा रिफंड आसान होगा ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *http://hindi-economictimes-indiatimes-com/business/business&news/know&all&about&indias&biggest&taÛ&reform&gst/articleshow/57909199-cms*
2. *http://hindi-moneycontrol-com/news/market&news/gst&beginning&of&new&tax&regime_162197-html*
3. *https://www-hindi-nyoooz-com/news/kanpur/taÛ&reduction&rate&of&66&products&in&gst&the&decision&taken&by&the&council_61223/*
4. *नवभारत टाइम्स. 'जीएसटी लागू होने के बाद भी ई–कॉमर्स साइट्स पर मिल रहा 80% तक डिस्काउंट' अभिगमन तिथि– 7 जुलाई 2017.*
5. *एनडीटीवी. 'जीएसटी लागू रू बचे माल पर नई कीमत नहीं छापी तो जेल की हवा खानी पड़ सकती है–रिपोर्ट' अभिगमन तिथि– 7 जुलाई 2017.*
6. *http://www-cbec-gov-in/resources//htdocs&cbec/gst/gst&overview&hindi-pdf*